राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

भंवरदान बनाम कीर्तिवर्धन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	164/2025	
17/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
19/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस समायत कर आदेश दिनांक 20/10/2023 पारित करते हुये प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 5/अपीलार्थीगण को विवादग्रस्त भूमि की मौके एवं एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने तक पाबन्द फरमा ।देया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06/12/2024 पारित करते हुये प्रार्थीयां/रेस्पो. संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 20/10/2023 में आंशिक संशोधन करते हुये उभयपक्षकारान को पाबन्द फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से उभयपक्षों को यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है, जो एक न्यायसंगत आदेश प्रतीत होता है क्युकी यदि मूल वाद के निस्तारण से पूर्व विवादग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन होता है तो प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होकर पेचीदगीयां उत्पन्न होना सम्भव है, जिसे रोका जाना न्यायहित में आवश्यक समझा जाता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी अपील के स्तर पर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीयक्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन एवं न्यायोचित्त प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावल फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	